III. Non-Coking Coals produced in CIL(Other than Longflame Coal) :				
Grade A	516.00	582.00	610.00	
Grade B	471.00	531.00	557.00	
Grade C	411.00	464.00	487.00	
Grade D	326.00	368.00	386.00	
Grade E	259.00	292.00	306.00	
Grade F	207.00	233,00	244.00	
Grade G	147.00	166.00	174.00	
IV. Coals produced in Singareni Collieries Co. Ltd.(SCOL)				
Grade C	517.00	578.00	602.00	632.00
Grade D	455.00	509.00	530.00	560.00
Grade E	375.00	419.00	436.00	466.00
Grade F	308.00	344.00	358.00	388.00
Grade G	225.00	252.00	262.00	292.00
V. Ungraded Coals of Assam, Meghalaya, Nagaland & Arunachal Pradesh . . .	595.00	671.00	704.00	

NOTE : The prices given are ex-pithead, exclusive of royalty, cesses taxes and other levies wherever applicable. A premium of 10% over and above the prices given is chargeable on coals of Grades A to D supplied from list of some collieries notified for the purpose.

कोककारी कोयला कोकिंग कोल विषयक उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी कृतिक बल द्वारा तैयार की गई कार्य योजना

4274. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोककारी कोयले (कोकिंग कोल) के निरन्तर बढ़ते आयात को कम करने के लिए और इसका स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी कृतिक बल द्वारा कोई कार्य-योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके विस्तृत परिणाम क्या निकले हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस कार्य योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हां. तो कोककारी कोयले (कोकिंग कोल) के आयात को कम करने के लिए लक्ष्य के रूप में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और देश में "कोककारी" कोयले (कोकिंग कोल) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किए जाने हेतु बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है और आगामी वर्षों में स्वदेश में कोककारी कोयले (कोकिंग कोल) के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) तकनीकी दल द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार धुले तथा सीधे फीड कोककारी कोयले की देशीय उपलब्धता में वर्ष 1992-93 के 11.35 मिलियन टन के उत्पादन से 2001-2002 ई०स० तक लगभग 20.71 मि० टन की वृद्धि की जा सकती है, जिससे कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के अंतर्गत इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप आयातों में काफी कमी हो जाएगी । तकनीकी दल द्वारा सिफारिश की गई कार्रवाई योजना के विशिष्ट मुद्दे नीचे दिए गए हैं :—

(1) मार्च, 1995 तक विद्यमान वाशरियों में सभी आधुनिक निर्माण कार्य को त्वरिता से पूरा किया जाना ताकि इस्पात संयंत्रों को 17±0.5% राख वाले कोयले की आपूर्ति की जा सके।

(2) कच्चे कोककारी कोयले की उपलब्धता में, विभिन्न चालू कोककारी कोयला परियोजनाओं पर निकटतम निगरानी रखने की दृष्टि से वृद्धि किया जाना।

(3) 2 निर्माणाधीन कोककारी कोयला वाशरियों को तीव्रता से चालू किया जाना; भा० को० को० लि० में मधुबंध (2.50 मि० टन प्रतिवर्ष) तथा से० को० लि० में केडला (2.60 मि० टन प्रतिवर्ष)।

(4) देश में उपलब्ध निम्न ज्वलनशील मध्यम कोककारी कोयला की धुलाई के लिए अतिरिक्त वाशरी क्षमता स्थापित किया जाना।

(5) इस्पात संयंत्रों के लिए असम तथा मेघालय क्षेत्रों से अधिक मात्रा में कम राखीय कोयले का लाया जाना।

दल की सिफारिशों को सरकार द्वारा मार्च, 1994 में मान लिया गया है तथा को० इं० लि० से कहा गया है कि कार्रवाई योजना का क्रियान्वयन समय बद्ध कार्यक्रम के आधार पर किया जाए।

उत्तरी भारत कोयले की आपूर्ति

4275. **श्री रामजी लाल :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार कोयले की गुणवत्ता में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला उत्पादक क्षेत्रों से उत्तरी भारत को विशेष रूप से हरियाणा में हिसार को इस कोयले की आपूर्ति पुरानी दरों पर की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कोयले की गुणवत्ता संबंधी नीति पर फिर से विचार करने का और भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को बढ़िया किस्म के कोयले की आपूर्ति करने हेतु अनुदेश जारी करने का विचार रखती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप में कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा की आपूर्ति के संबंध में निर्णय बायलरों के विशिष्ट मानदंडों तथा अन्य उपकरणों के आधार पर लिया जाता है और तदनुसार उपयुक्त स्रोत से कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें सुधार के मामले में कोयला कंपनियों द्वारा निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। इस संबंध में प्राप्त परिणामों का उल्लेख आसानी से नहीं किया जा सकता है, केवल इसका अनुमान गुणवत्ता संबंधी प्राप्त शिकायतों की प्रवृत्ति से ही लगाया जा सकता है। कोयला कंपनियों को कोयले की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं, जोकि अधिकांशतः कोयले के ग्रेड में गिरावट तथा कोयले में कंकड़ तथा पत्थर के होने और आपूर्तित किए गए कोयले में अवशिष्ट सामग्री होने के संबंध में होती हैं।

विभिन्न ग्रेड के कोयले की कीमतों का केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है। कोयले की कीमतें कोयले का प्रेषण करते समय चालू कीमतों के आधार पर आपूर्तित किया जाता है। यदि किसी क्षेत्र का कोई उद्योग विशिष्ट यूनिट, जिसमें उत्तर भारत का हिसार अथवा हरियाणा शामिल हैं, उसे आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत है तो वे विशिष्ट मामले को कोयला कंपनी अथवा सरकार के नोटिस में उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई हेतु लाएं।

भारतीय कोयला सामान्यतः अन्तर-बैंडों के साथ कंकड़/पत्थर, आदि के साथ परतों में पाया जाता है। बहुत प्रयास किए जाने के बाद भी खनन तथा रख-रखाव प्रक्रिया के दौरान कोयले से कंकड़/पत्थर, आदि को पूरी तरह से अलग किया जाना संभव नहीं है। किन्तु कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) फीडर ब्रेकरों तथा कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना किए जाने के लिए एक कार्रवाई योजना क्रियान्वित की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को आकारीकृत कोयले की आपूर्ति का सुनिश्चय किया जा सके।

(2) लदान के समय कोयले से पत्थरों को अलग किए जाने के लिए व्यवस्था की गई है।

(3) कंकड़ तथा पत्थर के टुकड़ों को उठाए जाने के लिए कोयला रख-रखाव संयंत्रों को धीमी गति की पिकिंग बैल्टें मुहैया की जा रही हैं।

(4) कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लदान स्थल पर ही बेहतर पर्यवेक्षण का सुनिश्चय किया जा रहा है और कार्यरत कामगारों, पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों में गुणवत्ता संबंधी जागरूकता उत्पन्न की जा रही है।

(5) विद्यमान कोककार कोयला वाशरियों में सुधार तथा आधुनिकीकरण।